वार्षिक 200/- रुपये जुलाई 2026 वर्ष 28 अंक 09 पृष्ठ - 28 मूल्य 20/-रु.

गोसम्पदा

केवल और केवल
गाय का मल-मूत्र ही पवित्र-पावन है

सम्पादकीय

केवल और केवल गाय का मल-मूत्र ही पवित्र-पावन है

आज देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह गोपालन अवश्य करे, जिनके लिए गाय रखना संभव न हो वे अन्य गोपालकों एवं गोशालाओं के लिए यथासंभव सहयोग करें, क्योंकि गायों की संगति परम पवित्र है और संपूर्ण लोक गायों में ही प्रतिष्ठित है। गाय ही यज्ञ का विस्तार करती है और गाय ही विश्व की माता है। गौओं का गोबर व गोमूत्र सम्पूर्णरूप से अलक्ष्मी का नाश करने वाला कहा गया है। इसलिए इन दोनों गव्यों का प्रयत्नपूर्वक आश्रय लेना चाहिए तथा सेवन करना चाहिए।

स्मरण रहे कुछ वर्षों पहले ही गुजरात के जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. बी. ए. गोलकिया जी ने चार वर्षों की रिसर्च के बाद यह प्रमाणित किया है कि गोमूत्र में सोना होता है। उन्होंने गुजरात की प्रसिद्ध गीर नस्ल की गायों के मूत्र से सोना निकालने का दावा किया है। हाँ, यह बात अलग है कि उक्त शोध के बाद देश–दुनिया के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग और वैज्ञानिकों को विवश होकर गाय के महत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी ओर असाध्य बीमारियों के लिए भी गोमूत्र रामबाण औषधि प्रमाणित हो रही है, जिसे वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। प्रथम एवं द्वितीय स्टेज का तो कैंसर भी गोमूत्र सेवन से ठीक किया जा रहा है। वस्तुतः गोमूत्र में औषधीय गुण होते हैं, जिससे आज मनुष्य की आसाध्य बीमारियों को ठीक किया जा रहा है। साथ ही गोमूत्र से बनाये गये कीटनाशकों से फसलों को सभी प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है। इसी दृष्टि से गोमूत्र से 'गोअर्क' बनाने के अनेक पेटेंट भी प्राप्त कर लिए गये है। इसके आलावा गोबर "भूमि" का प्राकृतिक आहार है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में पूर्ण सक्षम है, हजारों–हजार वर्षों से यह प्रयोग–पद्धति स्वयं सिद्ध है। इसीलिए कहा गया है – **"गोमये वस्ते लक्ष्मी"**, जो अक्षरशः सत्य है। इस प्रकार उपर्युक्त गुणों के आधार पर स्पष्ट प्रमाणित होता है कि गोमाता (पंचगव्या) सभी दृष्टिकोण से मानव सहित सम्पूर्ण सृष्टि की सुरक्षा हेतु अनिवार्य हैं।

इसीलिए स्वाधीनता के पूर्व से ही गोहत्या रोकने के लिए अनेक बार बड़े–बड़े आंदोलन किये गये। साथ ही अनेक साधु–संतों और महापुरुषों ने इस यज्ञ (आंदोलन) में अपने प्राणों की आहुति भी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद सहित अनेक सांस्कृतिक संगठन भी गोवंश–हत्या रोकने के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। दुर्भाग्य से गोहत्या–गोमांस भक्षण अभी भी जारी है, जो भारतमाता के ललाट पर कलंक है जिसका मिटाया जाना अनिवार्य है। यथार्थ में सभी देशवासी इस सत्य से भलीभांति अवगत हैं कि भारतीय मनीषियों ने गोमाता की दिव्यता का साक्षात्कार करने के पश्चात ही गाय को "माँ" की संज्ञा सम्मान से अलंकृत किया है। सुपरिणामस्वरूप वेदों–पुराणों सहित सभी शास्त्र "मैया मैया" की महिमा से ओत–प्रोत हैं। आध्यात्मिक–धार्मिक आधार पर और वैज्ञानिक अनुसंधानों से अब यह प्रमाणित हो चुका है कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान चौरासी लाख योनियों (प्राणियों) और 33 कोटि देवी–देवताओं में केवल और केवल भारतीय नस्ल की गायों के गोबर–गोमूत्र को ही पवित्र पावन माना गया है, जो है भी।

दुर्भाग्य से या कहें अज्ञानतावश गोमाता–गोवंश की हत्या एवं गोमांस–भक्षण और गोवंश की घोर उपेक्षा के दुष्परिणामस्वरूप आज राष्ट्र के समक्ष अनेक विकराल भयावह समस्याएं व चुनौतियां विद्यमान हैं, जिनका समाधान ढूढ़ा जाना राष्ट्रहित के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य है। इन चुनौतियों में बेरोजगारी, गांवों से शहरों की ओर पलायन, गरीबी, कृषि–किसान संकट, धर्म ग्रंथों (बाइबल व कुरान) की गलत व्याख्या आदि प्रमुख हैं। इसलिए राष्ट्रहित में इन विकराल समस्याओं का समाधान निकालना अपरिहार्य है, क्योंकि इनके समाधान से ही भारत विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच सकता है। और यह कहना एकदम समीचीन होगा कि गोवंश–हत्या और गोमांस–भक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से ही इन समस्याओं का निराकरण तो होगा ही, साथ ही भारत पुनः "विश्वगुरू" बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा।

(सम्पादक)

गोसम्पदा

वर्ष - 28 अंक-09 जुलाई - 2026 पृष्ठ - 28

संरक्षक :
हुकुमचंद सावला जी

दिनेश उपाध्याय जी
अखिल भारतीय गोरक्षा प्रमुख
संकट मोचन आश्रम, सै. 6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22
मो. : 9644642644
ईमेल : gosampada@gmail.com

सम्पादक : देवेन्द्र नायक
संकट मोचन आश्रम, सै. 6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22
मो. : 8130049868
ईमेल : gosampada@gmail.com

परामर्शदाता : प्रो. गुरुप्रसाद सिंह जी
मो. : 9838900596

प्रकाशक : राजेन्द्र प्रसाद सिंहल जी
मो. : 9810055638

प्रचार-प्रसार प्रमुख : डॉ. नरेश शर्मा जी
9811111602

व्यवस्थापक : रामानन्द यादव
मो. : 9958710672

साज-सज्जा : सुमन कुमार

वैधानिक सूचना

'गोसम्पदा' से संबन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 माह के अंदर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में मान्य होंगे

सहयोग राशि

एक प्रति : रु. 20/-
वार्षिक : रु. 200/-
आजीवन : रु. 2000/-

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
गोमाता और ज्योतिष	04
हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी	05
विचार और वाणी	08
पंचगव्य-आयुर्वेद चिकित्सा के आशातीत सुपरिणाम	09
करूणा, आस्था और धार्मिक बलि से जुड़े नैतिक प्रश्न	11
गोमाता सकारात्मकता की प्रतीक	13
'बरगुर' नस्ल का संरक्षण-संवर्द्धन अनिवार्य	16
हिमाचल गोरक्षा मॉडल	18
सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय	21
The Carbon Carousel : Methane, Monocultures and the Future of Regenerative Grazing	22
Maa Gau : The Sacred Cow and Her Importance in Indian Civilization	24

हार्दिक निवेदन

सभी गोभक्त–गोप्रेमी बंधुओं से करबद्ध अनुरोध है कि वे इस पत्रिका का सदस्य अवश्य बनें और अन्य गोभक्तों को भी सदस्य बनायें। कृपया सभी लोग अपना वार्षिक अथवा आजीवन सदस्यता शुल्क निम्नलिखित बैंक व खाता नंबर में जमा कराएं–

पंजाब नेशनल बैंक, बसंत लोक, नई दिल्ली
खाता नम्बर - 04072010038910
IFSC CODE : PUNB0040710

नोट : शुल्क **"भारतीय गोवंश रक्षण संवर्द्धन परिषद"** के नाम पर जमा करें। सम्पर्क सूत्र : 011–26174732

आचार्य डॉक्टर विवेक

गोमाता और ज्योतिष

सभी समस्याओं का समाधान

प्रश्न – मेरी राशि कुम्भ है। कृपया चल रही साढ़ेसाती के लिए गाय के माध्यम से कोई उपाय बताएं?

उत्तर – यदि आपकी राशि कुम्भ है तो **शनि** आपकी राशि के **स्वामी ग्रह** हैं। साढ़ेसाती का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य, कर्मनिष्ठा और आत्मिक परिपक्वता की ओर अग्रसर करना भी माना जाता है। इस अवधि में गौ–सेवा विशेष पुण्यदायी मानी गई है।

शनिवार को गौ–सेवा के उपाय –

प्रत्येक शनिवार प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक गाय को गेहूँ के आटे की रोटी खिलाएँ, जिसमें काले तिल मिले हों। इच्छानुसार रोटी पर थोड़ा–सा शुद्ध तिल का तेल भी लगा सकते हैं। यदि संभव हो तो वृद्ध, असहाय अथवा गौशाला में रहने वाली काली गाय की सेवा करें। गाय को रोटी खिलाने के बाद उसकी परिक्रमा कर प्रणाम करें और शनि देव से कृपा की प्रार्थना करें। इसके पश्चात 108 बार निम्न मंत्र का जप करें –

ॐ शं शनैश्चराय नमः।।

विशेष उपाय –

1. लगातार 11 शनिवार तक गौशाला में हरा चारा और भूसे से यथाशक्ति गौ–सेवा करें।
2. गोमाता के शरीर पर श्रद्धापूर्वक हाथ फेरकर आशीर्वाद ग्रहण करें।
3. शनिवार को किसी जरूरतमंद, वृद्ध या श्रमिक की सहायता करना भी शनि की प्रसन्नता हेतु श्रेष्ठ माना गया है।

वर्तमान गोचर के संदर्भ में –

कुम्भ राशि के जातकों के लिए वर्तमान शनि गोचर आर्थिक अनुशासन, संयमित वाणी तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों पर विशेष ध्यान देने का संकेत देता है। अतः गौ–सेवा के साथ–साथ सत्यनिष्ठ आचरण, नियमित परिश्रम, सेवा–भाव और संयमित जीवनशैली अपनाना साढ़ेसाती के सर्वश्रेष्ठ उपायों में गिना जाता है।

नोट : केवल राशि के आधार पर उपाय सामान्य होते हैं। यदि आपकी **जन्मतिथि, जन्मसमय** और जन्मस्थान उपलब्ध हों, तो जन्मकुंडली का विश्लेषण कर शनि की स्थिति के अनुसार अधिक सटीक और व्यक्तिगत उपाय बताए जा सकते हैं।

विशेष सूचना

पाठक बंधुओं से हार्दिक निवेदन है कि प्रत्येक अंक में एक नया कॉलम "ज्योतिष और गाय" के नाम से दिया जा रहा है। इसके माध्यम से जिन लोगों की जो समस्यायें हैं उनको "सम्पादक के नाम पत्र" लिखकर भेज सकते हैं। सभी सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रहेंगीं। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम व स्थान बदलना चाहे तो पत्र में लिख सकता है ताकि अन्य किसी को आपके संदर्भ में कोई जानकारी न मिल सके। पत्र के साथ अपनी कुंडली भेजें या "जन्म तिथि, स्थान, और समय" तीनों का उल्लेख करना अनिवार्य है। सभी समाधान पूर्णतः निःशुल्क हैं। पत्र के लिफाफे पर "गोमाता और ज्योतिष" अवश्य लिखें।

हरीशंकर दीक्षित (पथिक)

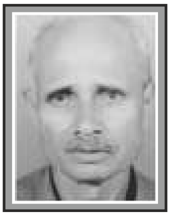

हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी

जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखण्डे अमुक ग्रामे अमुक नाम अमुक वर्ण अमुक गोत्र'' हमारे प्रत्येक संस्कार और गोदानादि कार्यों में उपरोक्त मन्त्र पाठ आवश्यक है। उपरोक्त परिचय में जम्बूद्वीप से तात्पर्य यूरेशिया से है। यूरेशिया से तात्पर्य दक्षिण योरप और लगभग सम्पूर्ण अफ्रीका और एशिया से है। आर्यावर्त से तात्पर्य वर्तमान ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, तिब्बत, वर्मा आदि देशों से है। भरतखण्ड से तात्पर्य पाकिस्तान, भारत से है। ग्राम से तात्पर्य जहाँ व्यक्ति निवास करता है – उस स्थान के नाम से है। इसके उल्लेख के पश्चात् व्यक्ति का नाम, वर्ण और गोत्र का उल्लेख करते हुए संस्कार या दानादि का उल्लेख किया जाता है।

लगभग सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में गोवंश की वह कोटि पायी जाती है जिसका दुग्ध अमृततुल्य है और गोमय तथा गोमूत्र औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। इस गोवंश की पहचान इसके **ककुद** और गलकम्बल द्वारा सरलता से होती है। सींगें प्रायः स्थानिक पारिस्थितिकी के आधार पर विकसित होती हैं। यह किसी की छोटी और किसी प्रजाति की मध्यम और किसी की बड़ी होती हैं किन्तु दुग्ध, गोमय तथा मूत्र क्रमशः समस्त प्रजातियों में लगभग समान गुणकारी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इनके रंग का प्रभाव इनके दुग्धादि के गुण को कुछ भिन्नता देता है, जो कुछ विशेष रोगों में विशेष प्रभावी होता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफ्रीका के अनेक देशों में हमारे देश जैसा गोवंश आदिकाल से ही है। अफ्रीका के सूडान और इथोपिया आदि देशों में तो प्रत्येक परिवार के पास सैकड़ों गोवंश होता है जिसे मैदान में खुले आसमान के नीचे ही रात्रि विश्राम करना पड़ता है। वहाँ के गोपालक सूखे गोमय को गोवंश के मध्य अनेक स्थानों में जलाकर गोवंश को शीत और मच्छर आदि से उनकी रक्षा करते हैं। ये लोग गोमूत्र

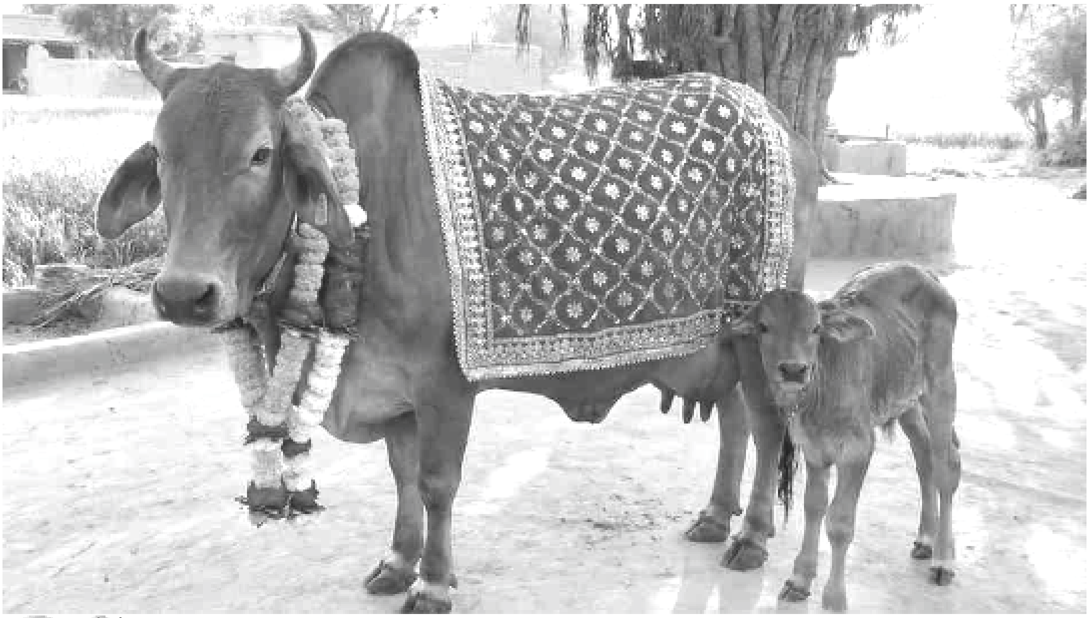

को चुल्लू में भरकर पीते हैं और सिर भी धोते हैं। गोमय की राख को अपने शरीर पर मलते हैं और मंजन की भाँति दाँतों में मलते हैं। प्रातःकाल गोचरण के लिये विस्तृत चरागाह –वनों में ले जाकर सन्ध्यापूर्व वापस आते हैं। इनकी गायें हमारी कांकरेज नस्ल जैसी होती हैं। वहाँ गोपालक भरपूर दुग्धपान करते हैं और पनीर भी खाते हैं। गोवंश की सुरक्षा और सेवा करना हमें उनसे सीखना चाहिये। पूरा कुटुम्ब एक साथ रहता है, किन्तु सबका गोवंश भिन्न रूप से चिह्नित होता है, जो पास–पास पृथक समूहों में रहता है। ये लोग गोवंश के मध्य और हर ओर सोते हैं और बारी–बारी से सुरक्षा करते हैं।

सृष्टि रचनाकार परमेश्वर ने अखिल ब्रह्माडीय रचना योग के आधार पर की है। समस्त नीहारिकाओं और इनके सौर मण्डलों के ग्रह नक्षत्रों का परस्पर सहयोग भाव से स्वधर्म (कर्तव्यों) का पालन करना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारी धरती पर हुई समस्त जैविक–अजैविक रचनायें भी पल–प्रतिपल स्वधर्म का पालन करती हैं। प्रत्येक सृष्टि घटक अपने पूर्व रचे गये घटक के सहयोग से ही अधिक उन्नत रूप में रचा जा सका है। यह सहयोग उन्नत पारिस्थितिकी के रूप में पूर्व घटकों के द्वारा भावी घटक को मिला है। प्रथम वनस्पति काई से क्रमशः कृमि–कीट–पतंगे, पक्षी– पशु और अन्त में मनुष्य का उत्कृष्ट रूप में रचा जाना इसी आधार पर सम्भव हुआ है। यदि ऐसा न होता तो ईश्वर ने मनुष्य को प्रथम क्रमांक पर रचने के पश्चात् अन्य घटकों की रचना की होती। अतः मनुष्य को स्वयं से पूर्व रचे गये समस्त घटकों का आभारी होना चाहिये, विशेष रूप से गोवंश का जिसे ईश्वर ने उसके जीवनयापन के मूलाधार रूप में उससे ठीक पहले वैसे ही उत्पन्न किया है जैसे शिशु प्रकृति जन्म से पूर्व ही जननी के पयोधरों में दुग्ध उत्पन्न करती है। हमारे पूर्वजों ने गो को माता समान आदरणीय, श्रद्धेय और पूज्या इसलिये कहा है क्योंकि वह मानव जीवनयापन का आधार होने के साथ ही वयतरणी (वैतरणी) अर्थात् भवसागर के आवागमन चक्र से मुक्त करने का अति सरल–सहज साधन भी है।

''गावः जगतस्य मातरम्'' और ***''गो में माता वृषभः पिता में''*** उपदेश मन्त्र कपोल कल्पना नहीं है। यह हमारे पुण्यात्मा पूर्वज ऋषियों द्वारा सृष्टि के गहन अध्ययन –मनन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष है। इन पुण्यात्मा पूर्वजों ने इसी प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मानव कर्तव्यों का निर्धारण किया जो **मानव धर्म** नामक ग्रंथ में एक वचनीय संज्ञा के रूप में ख्यात हुए।

उपरोक्त वर्णन से तात्पर्य यह है कि अखिल सृष्टि रचना सहयोग भाव पर ही हो सकी है और सहयोग भाव योग की चरम दशा है। इसका प्रमाण यह है कि जब तक मनुष्य की समस्त इन्द्रियाँ उसका सहयोग नहीं करती तब तक मनुष्य योग की दशा में स्थिर नहीं हो पाता है। इसके लिये मनुष्य दीर्घकाल तक अभ्यास करता है और इनमें से दृढ़निश्चयी कर्मठ व्यक्ति ही अपनी साधना में सफल हो सकता है। माना जाता है गोवंश के सान्निध्य में रहते हुए इसकी सेवा–रक्षा करने वाला व्यक्ति सरलता–सहजतापूर्वक योग की दशा को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि उसे यह बात ज्ञात तक नहीं हो पाती। भगवान कृष्ण के अनुसार स्वधर्म का पालन करते हुए जप–तप आदि का प्रयास किये बिना ही उसकी आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है और वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह है योग की पराकाष्ठा जो केवल गोवंश की सेवा–पूजा करने पर गोमाता के आशीर्वाद से अति सरल–सहजता से केवल मनुष्य को ही प्राप्त होती है। ध्यान देने की बात है देवता भी मोक्ष पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, किन्तु यह बिना

मनुष्य की योनि में जन्म लिये अपवाद रूप में ही मिलती है। जटायु भी तो वनज मनुष्य ही थे। जो वानर लंका में युद्ध के समय बलिदान हुए और वानर बालि, हनुमान आदि भी गिरि– वनवासी मानव ही थे। पुराणों में वर्णित सुर–असुर, यक्ष, किन्नर, नाग, दानव, दैत्य और राक्षस आदि नृवंश अर्थात् मानव योनि के ही अंग हैं।

गोवंश के महत्व और महत्ता का वर्णन आर्ष ग्रन्थों के अध्ययन –मनन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को विवेक की कसौटी पर किया गया है। आशा है कि इसे अन्यथा न लेकर पाठक स्वविवेक द्वारा सत्य की खोज करेंगे तो उन्हें यथार्थ का ज्ञान अवश्य होगा। यथार्थ का ज्ञान न होने के कारण ही आज हमारे देश की जनता की ऐसी दशा हो गयी है कि वह मन्दिर में वृषभ की मूर्ति की पूजा–अर्चना करती है और जीवित को देखना तक नहीं चाहती है। इन्हें आवारा पशु कहकर गरियाती–तिरष्कृत करती है। क्या ऐसे कृतघ्न लोगों पर पशुपति भगवान शिव कृपा कर सकते है?

दावे से कहा जा सकता है कि गोवंश की दुर्दशा दूर करने का एकमात्र उपाय उसे उसके प्राकृतिक स्थान पर प्रतिष्ठित करना ही है। उसका प्रतिष्ठित–प्राकृतिक स्थान हमारा घर है या तपस्वी ऋषियों का आश्रम है। अत: गाय को हमें यहीं प्रतिष्ठित करना है। तभी गोरक्षा संभव है।

यह विचारणीय है। हमारे धर्माचार्य लोगों को गोवंश के महत्व और महत्ता का ज्ञान यह बताकर क्यों नहीं देते कि **भगवान शिव ने संकटकाल में गोमाता के उदर में निवास किया था। इस प्रकार गोमाता उनकी भी माता हैं।** भगवान शिव अपनी माता की उपेक्षा और तिरस्कार करने वाले स्वयंभू भक्तों पर जो इन्हें दुग्ध से स्नान कराता है क्या प्रसन्न हो सकते हैं? यदि नहीं तो हमारे धर्माचार्यों, मठों–मन्दिरों से निकलकर ग्राम–ग्राम भ्रमण करते हुए, जनजागरण करने का प्रयास क्यों नहीं करते। ध्यान रहे आज से पाँच–छः दशक पूर्व तक दण्डी सन्यासी तो पदात् भ्रमण करते हुए मानव जन्म का कारण और उद्देश्य गोवंश की सेवा–रक्षा करते हुए, उसकी शक्ति–सम्पदा का सदुपयोग करते हुए जीवनयापन करना बताते व उनके अनुसार ऐसा करने वाले तो सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। दण्डी सन्यासी तो नितान्त अपरिग्रही होते थे, जबकि आज के धर्मोपदेशकों की जीवनचर्या में वैभव और परिग्रह भाव ध्यान देने योग्य है। दण्डी सन्यासियों की वेशभूषा, खान–पान और सुविधाओं की तुलना आज के धर्माचार्यों से करने पर हमें ज्ञात हो जाता है कि दोनों में कौन योगी है और कौन भोगी–रोगी है।

दावे से कहा जा सकता है कि गोवंश की दुर्दशा दूर करने का एकमात्र उपाय उसे उसके प्राकृतिक स्थान पर प्रतिष्ठित करना ही है। उसका प्रतिष्ठित–प्राकृतिक स्थान हमारा घर है या तपस्वी ऋषियों का आश्रम है। आज तपस्वी ऋषियों के पास आश्रम नहीं हैं या वे अब वनों में रहना नहीं चाहते। हमारे धर्माचार्यों को चाहिए कि ईश्वरीय कौतुक अखिल सृष्टि की रचना में ईश्वरीय इच्छा क्या है? इस पर परस्पर विचार–विमर्श करके प्राप्त निष्कर्षों को उपदेश रूप में प्रचारित–प्रसारित कर अपने कर्तव्यों का पालन करें, ठीक वैसे ही जैसे पूर्वकाल में दण्डी–सन्यासी करते थे। दान पर

चलने वाली गौशालाओं के प्रबन्धकों को चाहिये कि वे परम्परागत कृषि यन्त्रों में सुधार कराने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए बैलों से कृषि कार्य कराने का कार्य भी प्रारम्भ करें। ऐसा कार्य प्रारम्भ करने से उन्हें और अधिक सहायता प्राप्त हो सकती है और उत्पादों का अधिक मूल्य भी मिलेगा। इससे कृषक और उद्यमी भी प्रभावित होंगे और वे गोवंश का पालन–पोषण करने लगेंगे। इस प्रकार छुट्टा गोवंश की समस्या समाप्त होगी और उनके अच्छे दिन बहुरेंगे। इस लोकमंगलकारी कार्य को सम्पन्न करने के लिये इन्हें मिथ्या वैभव त्यागकर अपरिग्रही जीवन अपनाना पड़ेगा।

ध्यान रहे गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराने से गरीबी दूर नहीं होगी। ऐसे कार्य तो मिथ्यादम्भ और अहंकार को ही जन्म देते हैं, जिसका प्राकट्यकर्ता स्वयं करते देखे जाते हैं। दान के धन के बल पर ऐसा करने वाले कठोर परिश्रम द्वारा धनार्जन कर किसी असमर्थ विधवा की एक सन्तान का पालन–पोषण करें तो वे धन्य कहे जायेंगे, किन्तु मात्र दान के धन पर ऐसा करने वाले जो अपनी जीविका भी दान के धन पर चलाते हैं, उनका जीवन कितना धन्य है, यह विचारणीय है।

लेखक का तात्पर्य यह है कि यदि हम गोवंश के दुख–कष्टों से दुखी हैं तो हमें यथाशक्ति उसके दुख–कष्टों को दूर करने का सार्थक प्रयास करना चाहिये। गोवंश की शक्ति का सदुयोग करना ही सार्थक प्रयास है। हमारे ऐसा करने से ही गोवंश को उसका वांछित प्रतिष्ठित स्थान जो हमारा घर ही है, मिल सकेगा। अन्यथा निकट भविष्य में हमारे लोकमंगलकारी गोवंश का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा और उसके बाद जो होगा वह मनुष्य के अप्रत्याशित विनाश का कारण होगा, जिसका साक्षी मात्र काल होगा। वही काल जो महाकाल पशुपति भगवान शिव का अंश मात्र है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा – ***''हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी।''*** इसका उत्तर है – धर्म पालक थे कभी हम, अब विरत हैं धर्म से। और आगे अधर्मी भ्रष्ट होंगे कर्म से।'' हमें इससे बचना चाहिये। इसके लिए हमें गोवंश को उसके वास्तविक स्थान पर प्रतिष्ठित करना ही होगा।

विचार और वाणी

– एस. एन. दुबे 'स्नेही'

मानव जीवन में विचार और वाणी दो महत्वपूर्ण घटक हैं। मनुष्य के अनुभव, ज्ञान और भावनाओं से उत्पन्न विचार वाणी को माध्यम बनाकर स्वयं को आकार देते हैं। वैचारिक उत्कृष्टता जितनी समृद्ध होगी, वाणी भी उतनी प्रभावी होगी। वाणी विचारों का ही अनुसरण करती है। इसलिए वाणी को विचारों का प्रतिबिंब कहना उचित होगा। जिस प्रकार अच्छी पुस्तकों का अध्ययन श्रेष्ठ विचारों का पोषक माना गया है, उसी प्रकार मन, बुद्धि और ज्ञान की छलनी से छनकर व्यक्त की जाने वाली वाणी को अंतस की आवाज समझा गया है।

वैचारिक शुद्धता और वाणी चातुर्य का मिश्रित रसायन ही मनुष्य की सफलता का आधार है, जो उसके मानसिक और वाचिक तप का प्रतिफल होता है। मानसिक तप से जैसे वैचारिक स्वच्छंदता को नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही वाचिक तप से वाणी को कटुता रूपी अनर्थ का निमित्त बनने से रोका जा सकता है। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता मानसिक तप है तो दूसरों को विचलित नहीं करने वाला मृदुभाष्य, सत्यकथन और संवेदनशीलता, वाचिक तप है। दोनों की साधना से मन की मलिनता का शमन होते रहने से मनुष्य के मन में न केवल श्रेष्ठ विचारों का प्रस्फुटन होने लगता है, वरन वह जैसा सोचता है वैसा ही बोलना भी आरंभ कर देता है। मानसिक विचार और वाणी का यह तादात्म्य उसकी वाक्पटुता की श्रेष्ठता को स्थापित कर उसे दूसरों के लिए प्रेरक बनाता है।

यूं तो मनुष्य की साधारण पहचान उसके चेहरे से होती है, किंतु उसकी समग्र एवं व्यापक पहचान उसके विचारों और वाणी से ही होती है। वैचारिक उत्कृष्टता के साथ वाणी का स्तर जिस मनुष्य का जितना श्रेष्ठ होगा, वह उतना ही आकर्षक और सर्वप्रिय होगा। इसलिए एकांत होने पर मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और सबके साथ होने पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की साधना में निरंतर पारंगत होते रहना होगा।

वैद्य नंदिनी भोजराज (एम.डी., आयुर्वेद)

पंचगव्य-आयुर्वेद चिकित्सा के आशातीत सुपरिणाम

सोलह रोगियों ने साझा किए स्वास्थ्य लाभ के प्रेरक अनुभव, ''गोअमृत'' एवं ''गोविज्ञान ऑर्गेनिक'' उत्पाद श्रृंखला का लोकार्पण

भारतीय ज्ञान परंपरा, आयुर्वेद एवं गौ–आधारित चिकित्सा पद्धति की प्रभावशीलता को जनसामान्य तक पहुँचाने के उद्देश्य से ***"पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा के आशातीत परिणाम एवं रुग्णानुभव कथन"*** कार्यक्रम का आयोजन श्री आयुर्वेद महाविद्यालय के सभागृह में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। ***कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य 'माननीय भैय्याजी जोशी' प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।*** कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आयुर्वेद महाविद्यालय के अधिष्ठाता 'वैद्य बृजेश जी मिश्रा' ने की। इस अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय मंत्री 'मा. गोविंद जी शेंडे, प्रख्यात उद्योगपति ''डॉ. घनश्याम जी मूंदड़ा, पंचगव्य चिकित्सक ''डॉ. चरण जी सोनारे, गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष ''श्री पदमेश जी गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष ''डॉ. हेमंत जी जांभेकर, उपाध्यक्ष ''श्री सुधीर दिवे' एवं 'श्री यशपाल आर्य, कोषाध्यक्ष ''डॉ. संजय एकापूरे, सह–कोषाध्यक्ष ''श्री सुनील मेहाडिया, सह सचिव ''सीए अक्षय गुल्हाने, ''डॉ. पुष्पहास बल्लाळ, ''सीए निर्मल ओझा, ''श्री सतीश मोहोड, ''वैद्य नंदिनी भोजराज, ''वैद्य श्यामला रेखडे' तथा सीईओ 'डॉ. मनोज तत्त्ववादी' विशेष रूप से उपस्थित थे।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 16 रोगियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके प्रत्यक्ष अनुभव रहे, जिनमें उन्होंने त्वचा रोग, मधुमेह, थायरॉइड, गठिया, पाचन विकार, श्वसन संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न दीर्घकालिक रोगों में पंचगव्य आधारित औषधियों से प्राप्त उल्लेखनीय लाभ एवं स्वास्थ्य सुधार की आपबीती साझा की। इन अनुभवों ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों के समक्ष पंचगव्य

चिकित्सा की संभावनाओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया।

अपने मार्गदर्शन में माननीय भैय्याजी जोशी ने कहा कि भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपराओं में निहित ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय गोवंश केवल कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं आत्मनिर्भरता का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। पंचगव्य चिकित्सा के सकारात्मक परिणाम इस दिशा में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं।

अध्यक्षीय उद्बोधन में वैद्य बृजेश मिश्रा ने कहा कि आयुर्वेद का मूल उद्देश्य रोग का समूल निवारण एवं स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना है। पंचगव्य चिकित्सा इसी उद्देश्य को साकार करने वाली एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जिस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रलेखन की आवश्यकता है।

इस अवसर पर गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित आरोग्यवर्धक पेय "गोअमृत" कॉन्सन्ट्रेट' का 'ऑरेंज फ्लेवर' एवं 'आँवला फ्लेवर' में लोकार्पण किया गया। साथ ही प्राकृतिक एवं गौ–आधारित कृषि से उत्पादित "गोविज्ञान ऑर्गेनिक" अन्न–धान्य श्रृंखला' का भी शुभारंभ किया गया। ये सभी उत्पाद अब "रानी दुर्गावती ग्रामीण हाट" के माध्यम से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री पदमेश गुप्ता ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गौ–आधारित स्वास्थ्य, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना ही केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है। पिछले तीन दशकों से केंद्र भारतीय गोवंश पर वैज्ञानिक अनुसंधान, पंचगव्य औषधियों के विकास तथा प्राकृतिक जीवनशैली के प्रसार हेतु निरंतर कार्य कर रहा है।

कार्यक्रम का सफल संचालन वैद्य श्यामला रेखडे ने किया। अंत में शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

पंचगव्य औषधियों की प्रासंगिकता

आज जब जीवनशैली जनित रोगों, रासायनिक दुष्प्रभावों एवं बढ़ते स्वास्थ्य व्यय ने समाज के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं, तब पंचगव्य आधारित चिकित्सा एक सुरक्षित, प्राकृतिक एवं भारतीय परंपरा पर आधारित वैकल्पिक स्वास्थ्य दृष्टि प्रस्तुत करती है। भारतीय गोवंश से प्राप्त गोमूत्र, गोबर, दूध, दही एवं घृत पर आधारित पंचगव्य औषधियाँ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, शरीर के विषैले तत्वों के निष्कासन तथा समग्र स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही हैं। देशभर में प्राप्त सकारात्मक परिणाम एवं रोगियों के अनुभव इस चिकित्सा पद्धति के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रमाण हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक शोध, चिकित्सकीय प्रलेखन एवं जनजागरण के माध्यम से इस अमूल्य परंपरा को व्यापक समाज तक पहुँचाया जाए।

मुनीश कुमार गौड़

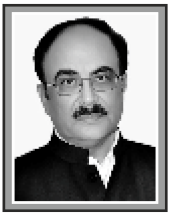

करुणा, आस्था और धार्मिक बलि से जुड़े नैतिक प्रश्न

हर वर्ष ईद–उल–अजहा (बकरीद) के अवसर पर विश्व के विभिन्न भागों में लाखों प्राणियों की कुर्बानी दी जाती है। यह परंपरा हजरत इब्राहीम (अब्राहम) की ईश्वर के प्रति आस्था, समर्पण और आज्ञाकारिता की स्मृति में निभाई जाती है, किन्तु अनेक स्थानों पर प्राणियों की सार्वजनिक हत्या, आवासीय क्षेत्रों में बहता रक्त, तथा निरीह प्राणियों की पीड़ादायक आवाजें अनेक नागरिकों, पशु–कल्याण समर्थकों और सामान्य लोगों के मन में गंभीर नैतिक, भावनात्मक, पर्यावरणीय और मानवीय प्रश्न खड़े करती हैं।

बहुत से लोगों के लिए रक्त से सनी सड़कें, प्राणियों के अवशेषों के ढेर और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खुलेआम होने वाली हत्या अत्यंत व्यथित करने वाला दृश्य होता है। वे यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या दया, करुणा और जीवन के प्रति सम्मान, जो प्रत्येक सभ्यता और धर्म के मूल मूल्य हैं, सार्वजनिक रूप से होने वाली इस प्रकार की हत्या के साथ सह–अस्तित्व में रह सकते हैं? यह बहस तब और तीव्र हो जाती है जब हत्या हलाल जैसी प्रक्रिया द्वारा की जाती है, जिसके विषय में आलोचकों का मत है कि इसमें प्राणी को मृत्यु से पूर्व अधिक समय तक पीड़ा सहनी पड़ती है।

विश्वभर के पशु–कल्याण संगठनों ने बिना पूर्व बेहोश किए जाने वाली धार्मिक बलि प्रक्रियाओं पर लंबे समय से चिंता व्यक्त की है। बेल्जियम (फ्लैंडर्स एवं वालोनिया), डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड सहित कई यूरोपीय देशों ने पशु–कल्याण के हित में बिना स्टनिंग (बेहोश किए) की जाने वाली धार्मिक हत्या पर प्रतिबंध अथवा कठोर नियम लागू किए हैं। अनेक मुस्लिम–बहुल देशों में भी आर्थिक परिस्थितियों, बदलती सामाजिक संवेदनशीलताओं, सार्वजनिक स्वच्छता तथा पशु–कल्याण संबंधी चिंताओं के कारण इस परंपरा को सीमित अथवा परिवर्तित करने पर चर्चा हुई है। उदाहरणस्वरूप, मोरक्को ने हाल ही में गंभीर कृषि एवं आर्थिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक ईद कुर्बानी को स्थगित किया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं मुस्लिम समाज के भीतर भी इस विषय पर विविध मत मौजूद हैं। अनेक इस्लामी विद्वानों का मत है कि ईद–उल–अजहा पर पशु–कुर्बानी एक अत्यधिक अनुशंसित परंपरा (सुन्नत–ए–मुअक्कदा) है, किन्तु प्रत्येक मुस्लिम के लिए पूर्णतः अनिवार्य नहीं। भारत में भी कुछ मुस्लिम समुदायों और धर्मगुरुओं ने सामाजिक सद्भाव और जन–संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रकार की कुर्बानी से स्वेच्छा से परहेज किया है। इस्माइली तथा कुछ सुधारवादी विचारधाराएँ कुर्बानी के आध्यात्मिक अर्थ जैसे दान, आत्म–संयम, अहंकार–त्याग और मानव सेवा पर अधिक बल देती हैं, न कि केवल पशु–हत्या पर।

ईद–उल–अजहा की कथा इब्राहीम परंपरा से जुड़ी है। इस्लामी मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहीम अपने पुत्र को ईश्वर की आज्ञा के पालन में बलिदान करने के लिए तत्पर हो गए थे, किन्तु अंतिम क्षण में ईश्वर ने उनके पुत्र के स्थान पर एक पशु प्रदान कर दिया। एक प्रसिद्ध आयत में कहा गया है :

"न अल्लाह तक उनका मांस पहुँचता है और न उनका रक्त, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है।"...कुरान 22/37

इसी कारण अनेक समकालीन चिंतक मानते हैं कि इस पर्व का वास्तविक संदेश अहंकार, लोभ, मोह, स्वार्थ और आसक्ति का त्याग है, केवल किसी पशु की हत्या नहीं। विश्व स्तर पर अनुमान है कि ईद–उल–अजहा के अवसर पर करोड़ों बकरियों, भेड़ों, गायों, ऊँटों तथा अन्य प्राणियों की कुर्बानी दी जाती है। भारत में भी प्रतिवर्ष ईद के दौरान लाखों प्राणियों की कुर्बानी होती है, किन्तु इसके सटीक आधिकारिक आँकड़े व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

आज विश्वभर में यह व्यापक नैतिक प्रश्न उठ रहा है कि क्या आधुनिक समाज में धार्मिक आस्थाओं को अधिक करुणामय, स्वच्छ और मानवीय स्वरूप में विकसित किया जा सकता है, जबकि उनकी आध्यात्मिक भावना भी सुरक्षित रहे? अनेक लोगों का मत है कि वास्तविक बलिदान का अर्थ अपने अहंकार, स्वार्थ, घृणा, लोभ और बुरी प्रवृत्तियों का त्याग होना चाहिए न कि किसी निरीह जीव का जीवन समाप्त करना।

भारत में अनेक ऐसे मुसलमान हैं जो करुणामय, अहिंसक हैं और कभी मांसाहार नहीं करते। यदि वे इस प्रकार की हिंसक कुरबानी में भाग नहीं लेते, तो क्या वे मुसलमान नहीं कहलाते?

क्या इस्लाम को वास्तव में जानने और मानने का अर्थ केवल ईद के नाम पर निरीह जीवों की हत्या कर मांस और बिरयानी का उपभोग करना है, जबकि मनुष्य अपने भीतर के दुर्गुणों, अहंकार, लालच, क्रोध और विनाशकारी इच्छाओं की कुर्बानी देने में असफल रहता है? या फिर आस्था की वास्तविक भावना आत्मसंयम, करुणा, नैतिक त्याग और चरित्र की पवित्रता में निहित है, न कि रक्तपात और हिंसा में ?

पेटा को उसकी चयनात्मक और सुविधाजनक चुप्पी के लिए धन्यवाद। एक ओर होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर पर्यावरण और पशु–कल्याण के नाम पर लंबे–लंबे उपदेश दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जब ईद के अवसर पर लाखों प्राणियों की सार्वजनिक हत्या होती है, सड़कों पर रक्त बहता है, प्राणियों के अवशेष दिखाई देते हैं और उनकी पीड़ा स्पष्ट सुनाई देती है, तब वही आवाजें अकसर मौन, सावधान या राजनीतिक रूप से चयनात्मक दिखाई देती हैं। यदि प्राणियों के प्रति करुणा वास्तव में सार्वभौमिक है, तो वह मौसमी, चयनात्मक अथवा किसी समुदाय की पहचान पर आधारित नहीं होनी चाहिए। नैतिक संवेदनशीलता प्रत्येक अवसर, प्रत्येक परंपरा और प्रत्येक समुदाय के प्रति समान होनी चाहिए।

यह बहस किसी धर्म या समुदाय को लक्ष्य बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़े नैतिक प्रश्न को उठाने के लिए है। क्या आधुनिक और संवेदनशील समाज में उत्सव के नाम पर क्रूरता, पीड़ा और सार्वजनिक हत्या को सामान्य माना जाना चाहिए? सच्ची मानवता प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति समान संवेदना की अपेक्षा करती है, चाहे राजनीति, दबाव समूह या वोट–बैंक की मजबूरियाँ कुछ भी हों।

डॉ. विजय लक्ष्मी (स्वतंत्र लेखिका)

गोमाता सकारात्मकता की प्रतीक

वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी किसी अन्य प्राणी में नहीं। किसी संत में ही उतनी ऊर्जा हो सकती है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि हम सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय के समीप जाने से ही संक्रामक रोग कफ, सर्दी, खांसी—जुकाम का नाश हो जाता है। गाय की पवित्रता एक प्राचीन लेकिन अधिकांश हिंदुओं में प्रचलित प्रथा है। भारत में समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में गाय की अवधारणा हड़प्पा सभ्यता के समय से चली आ रही है। गाय असीमित मात्रा में उपयोगी उत्पाद देती हैं, जबकि वह घास और पानी के अलावा कुछ नहीं लेतीं, इसलिए उन्हें परोपकार और उदारता के प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई है और कई हिंदू ग्रंथो में इसका समर्थन किया गया है। वैदिक साहित्य में अन्य जानवरों की तुलना में गायों का चित्रण कहीं अधिक बार किया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं की गायों, विशेषकर बैल को, केवल भोजन के स्रोत से कहीं अधिक महत्व दिया जाता था। भारतीय गाय लाखों लोगों के दिलों में पूजनीय स्थान रखती हैं। वे पशुधन नहीं हैं, वे भारतीय संस्कृति में पवित्र प्राणियों के रूप में पूजनीय हैं। "गोमाता" मातृत्व, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। इन मान्यताओं की गहरी ऐतिहासिक और धार्मिक जड़ें हैं और ये अनगिनत लोगों के जीवन को आकार देती रहती हैं। गाय धर्म, अहिंसा और प्राकृतिक जगत के साथ संबंधों से पूर्ण सह—अस्तित्व के सिद्धांत का साक्षात प्रतीक है। यह श्रद्धा वैदिक युग से ही निहित है, जहाँ गाय को धन, पोषण, उर्वरता और ब्रह्मांडीय समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में तो दूध देने वाली गाय को "अघ्न्या" बताया गया है। गाय के प्रति श्रद्धा का स्तर पंचगव्य के उपयोग से स्पष्ट होता है, जिसका प्रयोग चिकित्सा, शुद्धि और प्रायश्चित के अनुष्ठानों में किया

जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेषकर उत्तरी भारत में, गायों की रक्षा के लिए एक आंदोलन उभरा। बाद में, अहिंसा (जीवित प्राणियों को हानि न पहुँचाने की इच्छा) के आदर्श के उदय के साथ, गाय अहिंसक उदारता के जीव का प्रतीक बन गई। इसके अलावा, इसके उत्पाद पोषण प्रदान करते थे, इसलिए गाय को मातृत्व और धरती माता से जोड़ा गया। भारतीय सभ्यता के जटिल ताने–बाने में गाय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसकी प्रत्यक्ष आर्थिक उपयोगिता से बहुत अधिक है। गोमाता के रूप में श्रद्धापूर्वक संबोधित यह गाय मात्र एक प्राणी नहीं, बल्कि धर्म, अहिंसा और प्राकृतिक जगत के साथ सामंजस्यपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धांत का साक्षात प्रतीक है। ऋषि भारद्वाज द्वारा रचित भजन छठे मण्डल के 28वें सूक्त में गाय को सौभाग्य लाने वाली बताया गया है– **"गाय आई हैं और हमारे लिए सौभाग्य लाई हैं....** वे बछड़ों से भरपूर हों और हर सुबह इंद्र के लिए अपना दूध दें। दूध देने वाली गायों को विशेष रूप से "अघ्न्य" अर्थात "हत्या न करने योग्य" बताया गया है, जो उनकी संरक्षित स्थिति और हत्या के निषेध को रेखांकित करता है। ऋग्वेद उन्हें देवी अदिति (ब्रह्मांडीय माता) और पृथ्वी (पृथ्वी) जैसी दिव्य शक्तियों से जोड़ता है। यह पृथ्वी को गाय और आकाश को बैल के रूप में चित्रित करता है, जिनके ब्रह्मांडीय दूध से सृष्टि का पोषण होता है। महाकाव्यों, पुराणों और धर्मशास्त्रों में गाय को बार– बार पवित्रता, आशीर्वाद और नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि गाय जीवन के लिए दूध प्रदान करके मानवता की प्रति माता का कार्य करती है। हिंदू धर्म में गाय की पवित्रता इस मान्यता पर आधारित है कि गाय दिव्य और प्राकृतिक कल्याण का प्रतीक है और इसलिए इसकी रक्षा एवं पूजा की जानी चाहिए। गाय को विभिन्न देवताओं से भी जोड़ा गया है, विशेष रूप से शिव जिनका वाहन नंदी बैल है। इंद्र जिनका मनोकामना पूरी करने वाली गाय (कामधेनु) से घनिष्ठ संबंध है। कृष्ण जो अपनी युवावस्था में ग्वाले थे। गाय की पूजा की उत्पत्ति वैदिक काल (दूसरी सहस्त्राब्दी–सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व) से मानी जा सकती है।

भगवान कृष्ण बताते हैं कि वह गायों में कामधुक के रूप में प्रकट होते हैं यानी कामधेनु, जो मनोकामना पूरी करने वाली मूल गायें हैं, जिन्हें सुरभि गायों के नाम से जाना जाता है। सुरभि गायें कौन हैं और क्या हैं, और उन्होंने ऐसा उच्च और उत्कृष्ट स्थान कैसे प्राप्त किया कि वह भगवान कृष्ण की शक्ति के एक अंश का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 10, श्लोक 28 में भगवान कृष्ण कहते हैं– ***"धेनुनाम अस्मि कामधुक"*** अर्थात गायों में मैं मनोकामना पूरी करने वाली गाय हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वह गायों में कामधुक के रूप में प्रकट होते हैं यानी कामधेनु, जो मनोकामना पूरी करने वाली मूल गायें हैं, जिन्हें सुरभि गायों के नाम से जाना जाता है। सुरभि गायें कौन हैं और क्या हैं, और उन्होंने ऐसा उच्च और उत्कृष्ट स्थान कैसे प्राप्त किया कि वह भगवान कृष्ण की शक्ति के एक अंश का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। इसका खुलासा महाभारत के अनुशासन पर्व में कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा दी गई निम्नलिखित जानकारी में होता है– सुरभि गाय आध्यात्मिक लोकों से अवतरित होकर दिव्य अमृत की सुगंध से समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए स्वर्गलोक में प्रकट हुईं। सुरभि गायों की प्रत्यक्ष वंशज भारत महाद्वीप की पवित्र गायें हैं, जो सुरभि गायों की ही तरह अपनी पीठ पर सुंदर ककुद (कूबड़) और गर्दन के नीचे त्वचा की कोमल परतों (गलकम्बल) से विशिष्ट रूप से पहचानी जाती हैं।

चूंकि आज विश्व में विद्यमान सभी गायें भारत की पवित्र गायों की वास्तविक वंशज हैं, इसलिए वे सभी पवित्र हैं और उनकी सदा प्रेमपूर्वक देखभाल और सर्वोच्च आदर के साथ रक्षा की जानी चाहिए। जब सुरभि गायें अमृतमयी रस की सुगंध से प्रकट हुईं, तो उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए आवश्यक सभी चीजों में सर्वोपरि आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एक लाख वर्षों तक कठोर तपस्या की, इस प्रकार वैदिक अनुष्ठानों के लिए पवित्र घी केवल गाय के दूध से ही बनाया जाता है। सुरभि गौ की तपस्या के समापन पर ब्रह्मा स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और उनकी मनोकामना पूरी करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि गायें शाश्वत रूप से सभी प्राणियों की पालनहार होंगीं। यही कारण है कि गायें पवित्र और परम पूजनीय हैं, सृष्टि में सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं और वास्तव में समस्त लोकों की शरणस्थली हैं। समस्त मानवजाति के भविष्य के लिए, समस्त लोकों और स्वयं सृष्टि में गाय का महत्व इतना अधिक है कि उसका आशय न के बराबर है। वेदों में गाय को 'अघ्न्या' कहा गया है, जिसका अर्थ है अविनाशी।

निम्नलिखित कारणों से भारत, नेपाल और यहाँ तक कि बर्मा में भी गायों का बहुत सम्मान किया जाता है–

1. वैदिक काल में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर मुख्य इंधनों में से एक था, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता था। आज भी, गोबर और गोमूत्र को कीटाणुनाशक माना जाता है और घरों की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, गाय वैदिक लोगों को दूध, ईंधन, उर्वरक और कीटाणुनाशक प्रदान करती थी।
2. गाय के दूध से प्राप्त होने वाले उप–उत्पाद जैसे घी और मक्खन का उपयोग किया जाता है। इससे गाय की पवित्रता का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है।
3. गाय एक शांत और हानिरहित पशु है। आकार में बड़ी होने के कारण भी, यह चुपचाप घूमती है। इसलिए गाय हिंदू धर्म की अच्छाई का प्रतीक है और धर्म की प्रतिनिधि मानी जाती है।
4. गाय के दूध को मन शांत करने और ध्यान लगाने में सहायक माना जाता है। इस प्रकार हमारी गोमाता प्रकृति का उपहार और सकारात्मक ऊर्जा का भण्डार हैं।

पूज़ा पाराशर (कवयित्री, स्वतंत्र लेखिका)

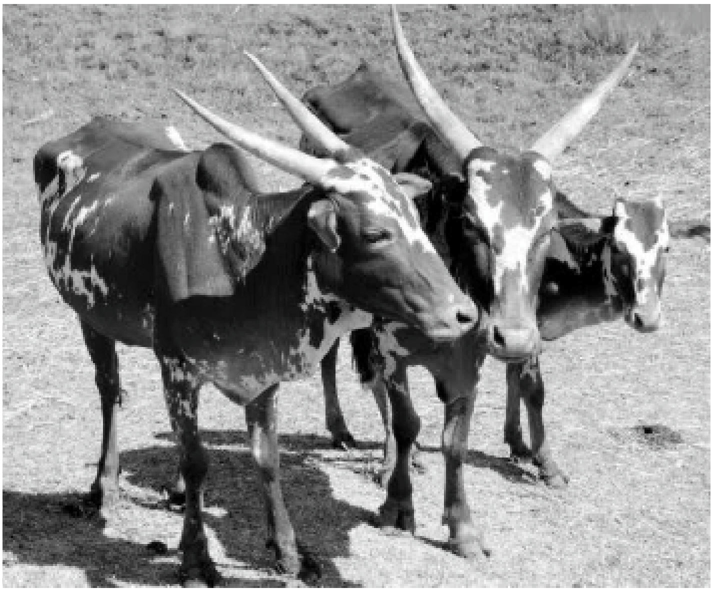

'बरगुर' नस्ल का संरक्षण-संवर्द्धन अनिवार्य

बरगुर नस्ल की गायें तमिलनाडु के इरोड जिले में बरगुर पहाड़ियों के आसपास पाई जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में कृषि कार्यों को करने के लिए पाले जाने वाली यह नस्ल अपनी **ट्रोटिंग क्षमता** के लिए भी जानी जाती है। उन्हें **"लिंगाई" नामक स्थानीय आदिवासी** पालते हैं। इन गायों के दूध में उच्च पोषण और औषधीय गुण होते हैं। **'बरगुर'** नस्ल की गायों को व्यापक प्रबंधन प्रणाली में रखा जाता है और वन क्षेत्र में पाला जाता है। लिंगाई नामक स्थानीय आदिवासी मजदूरों द्वारा 50 से 200 के समूहों में **"पैटी"** नामक बाड़ों में रखा जाता है।

बरगुर नस्ल की गायें जंगलों में ही रहती हैं, इसलिए उन्हें विपणन के लिए पशु मेले में ले जाया जाता है, जो अगस्त माह में वार्षिक पशु मेले के दौरान एंथियूर के पास **गुरुनाथ स्वामी मंदिर के उत्सव** के दौरान आयोजित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल 1000 से अधिक बरगुर मवेशियों को बेचने के लिए यहाँ लाया जाता है। मेले के दौरान राज्य के दक्षिणी जिलों के लोगों द्वारा **"जल्लीकट्टू" उत्सव** के लिए बरगुर बैल भी खरीदे जाते हैं, जो ग्रामीण तमिलनाडु में लोकप्रिय एक पारंपरिक खेल है।

लिंगायत आदिवासी कटाई के बाद जब उन्हें खेतों में लाते हैं तो वे इन्हें रागी पुआल (एलुसीन कोराकाना) देते हैं, परंतु भूमि घास से रहित होने पर उन्हें वापस जंगलों में ले जाते हैं। बरगुर पहाड़ियों में लिंगायत अधिकतर 5 से 50 तक वाले छोटे झुंड बनाए रखते हैं। झुंड का आकार 50 से 200 तक का होता है। छोटे झुंड की ताकत वाले ये लिंगायत एक साथ जुड़ते हैं और लगभग 100 से 200 गाय–बैलों की पैटियाँ बनाते हैं और बारी–बारी से जंगल में इन नस्लों को पालते हैं।

इस गोवंश की एक और आकर्षक उपयोगिता तथाकथित **"खोराजनम"** की उपस्थिति बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जंगलों में लगातार चरने की आदत के कारण बरगुर मवेशियों में पित्त

पथरी बनने का खतरा अधिक होता है। स्थानीय लोगों द्वारा "खोराजनम" कहे जाने वाले इन पित्त पत्थरों का उपयोग यूनानी (भारतीय चिकित्सा के वैकल्पिक रूपों में से एक) का अभ्यास करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा कुछ अज्ञात औषधीय प्रयोजनों (विशेष रूप से श्वसन रोगों से संबंधित) के लिए किया जाता है। खोराजनम का रंग पीला होता है और इसे मृत के बाद लीवर/पित्ताशय से निकाला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मृत हुए प्रत्येक 100 में से 5–6 बरगुर नस्लों के पास ऐसे "खुराजनम" होते हैं। प्रत्येक से औसतन 8–10 ग्राम गीला "खोराजनम" लिया जाता है। गीले "खोराजनम" की कीमत लगभग रु. 500 प्रति ग्राम.और सूखने के बाद इसे प्रति ग्राम 300 रुपये में बेचा जाता है

बरगुर मवेशियों की आबादी तेजी से घट रही है। इन मवेशियों की घटती प्रवृत्ति का मुख्य कारण कम बाजार, तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के वन अधिकारियों द्वारा चराई पर प्रतिबंध है। बरगुर पहाड़ियों के विभिन्न गाँवों के निवासियों ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा और वन क्षेत्रों में मवेशियों के चरने पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। **तमिलनाडु ट्राइबल पीपल एसोसिएशन** द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में कहा गया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों में चरने के लिए पालतू मवेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा, "प्रतिबंध हमें प्रभावित कर रहा है," और पूछा, "हम अपने मवेशियों को कहाँ ले जाएँ?"

बरगुर नस्ल की गायें तमिलनाडु के इरोड जिले में बरगुर पहाड़ियों के आसपास पाई जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में कृषि कार्यों को करने के लिए पाले जाने वाली यह नस्ल अपनी ट्रोटिंग क्षमता के लिए भी जानी जाती है। उन्हें ''लिंगाई'' नामक स्थानीय आदिवासी पालते हैं। इन गायों के दूध में उच्च पोषण और औषधीय गुण होते हैं। 'बरगुर' नस्ल की गायों को व्यापक प्रबंधन प्रणाली में रखा जाता है और वन क्षेत्र में पाला जाता है। लिंगाई नामक स्थानीय आदिवासी मजदूरों द्वारा 50 से 200 के समूहों में ''पैटी'' नामक बाड़ों में रखा जाता है।

आदिवासी, बरगुर नस्ल के संरक्षण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। वे गायों–बैलों के झुंड को बारी–बारी से पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं यहाँ तक कि उनकी देखभाल में होने वाला खर्च भी वे अपनी ओर से करते हैं। उनके दूध को भी बेचा नहीं जाता है। उनका उद्देश्य इस नस्ल को बचाना है और उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना है।

दिसंबर 2023 में आईसीएआर – **राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर)** द्वारा बरगुर नस्ल के संरक्षण के लिए बरगुर मवेशी अनुसंधान केंद्र को पुरस्कृत किया गया। यह केंद्र तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (TANUVAS) के पशु उत्पादन अध्ययन केंद्र निदेशालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य बरगुर नस्ल के मवेशियों के मूल झुंड को बनाए रखना, प्रजनन क्षेत्र में किसानों को प्रजनन स्टॉक का संरक्षण, उत्पादन और आपूर्ति करना तथा नस्ल का आनुवंशिक सुधार करना है।

(स्रोत– एग्री–आईएस, अन्य सरकारी व निजी पोर्टल)

अधिवक्ता शशांक शेखर (क्षेत्रीय गोरक्षा प्रमुख)

हिमाचल गोरक्षा मॉडल

एक याचिका, एक आंदोलन, दो न्यायालय और भारतीय संविधान का एक ऐतिहासिक संवाद

कुछ मुकदमे केवल न्यायालयों में नहीं लड़े जाते, वे समाज की दिशा तय करते हैं। हिमाचल प्रदेश की यह गोरक्षा याचिका भी ऐसा ही एक मुकदमा था। आज जब 14 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने State of Himachal Pradesh vs- Bhartiya Govansh Rakshan Sanverdhan Parishad (Civil Appeal arising out of SLP (C) No- 2265 of 2017) में अपना निर्णय सुनाया है, तब लगभग बारह वर्षों की एक न्यायिक यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ है। यह कहानी केवल एक केस की नहीं है। यह कहानी है – परित्यक्त गोवंश की, संघर्षरत किसानों की, गोरक्षा कार्यकर्ताओं की, न्यायिक सक्रियता की और अंततः संविधान की मर्यादा की।

एक पीड़ा जिसने मुकद्दमे का रूप लिया

वर्ष 2014 का हिमाचल प्रदेश। सड़कों पर घूमते हजारों परित्यक्त गोवंश। किसानों की बर्बाद होती फसलें। गौशालाओं की कमी। गोतस्करी और प्रशासनिक उदासीनता। इन परिस्थितियों में भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद, हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में CWP No- 6631 of 2014 दायर की। याचिका की मांगें सीधी थीं –

- ❖ प्रत्येक जिले में आधुनिक गौशाला
- ❖ गोसदन निर्माण
- ❖ गोवंश की चिकित्सा व्यवस्था
- ❖ पशुओं की टैगिंग
- ❖ गोतस्करी पर रोक
- ❖ गौशालाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराना आदि।

उस समय शायद स्वयं याचिकाकर्ताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि यह मुकदमा एक दिन भारतीय न्यायिक इतिहास में एक अलग स्थान बना लेगा। जब उच्च न्यायालय ने केवल सुनवाई नहीं की, बल्कि नेतृत्व किया। माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सामान्य मुकदमे की तरह नहीं देखा। न्यायालय ने महसूस किया कि यह केवल गोवंश संरक्षण का विषय नहीं है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों और समाज के नैतिक दायित्व का प्रश्न भी है और यहीं से प्रारंभ हुआ एक अभूतपूर्व न्यायिक प्रयोग।

7 अक्टू. 2014 : पहला बड़ा हस्तक्षेप

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, नगर निकायों और पंचायतों को कठोर निर्देश दिए। आदेशों में कहा गया–प्रत्येक निकाय गोसदन स्थापित करे, बेसहारा गोवंश को सड़कों से हटाया जाए, प्रशासन जिम्मेदारी तय करे, गोवंश का पंजीकरण हो। उस समय देश में शायद ही किसी अन्य राज्य में इतनी गंभीरता से गोरक्षा के प्रशासनिक ढांचे पर चर्चा हो रही हो।

8 जनवरी 2015 : न्यायालय की चिंता और बढ़ी

न्यायालय ने देखा कि आदेशों का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है इसलिए उसने पुनः हस्तक्षेप किया और अब केवल सलाह नहीं दी गई तथा समय –सीमा तय हुई, जवाबदेही तय हुई, जिलाधिकारियों और स्थानीय निकायों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया।

2 मई और 14 अक्टूबर 2015 : हिमाचल मॉडल आकार लेने लगा

इन आदेशों ने गोरक्षा को एक संगठित प्रशासनिक कार्यक्रम का रूप देना प्रारंभ कर दिया।

- ❖ गोसदनों की स्थापना,
- ❖ भूमि हस्तांतरण,
- ❖ गोवंश के लिए आश्रय,
- ❖ वित्तीय सहायता आदि।

इन सभी विषयों पर न्यायालय प्रत्यक्ष निगरानी कर रहा था, यही वह समय था जब गोरक्षा कार्यकर्ताओं के बीच **"हिमाचल मॉडल"** की चर्चा शुरू हुई।

2 मार्च 2016 :

जब मुकदमा नया मोड़ लेता है

यह तारीख इस पूरे मामले का निर्णायक मोड़ है जब उच्च न्यायालय ने देखा कि बेसहारा गोवंश केवल पशु कल्याण का प्रश्न नहीं है, बल्कि उनके कारण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, किसान आर्थिक संकट में हैं, कई किसान कर्ज में डूबे हुए हैं तथा यहाँ से न्यायालय ने राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग) की रिपोर्टों का अध्ययन प्रारंभ किया और यहीं से वह किस्सा शुरू हुआ जिसने बाद में सुप्रीम कोर्ट तक विवाद को पहुंचाया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि माननीय न्यायालय ने क्या कहा? **2 मार्च 2016 के आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा –**

- ❖ किसानों के लिए ऋणमाफी योजना बने,
- ❖ फसल बीमा योजना बने,
- ❖ MSP सुनिश्चित करने का प्रयास हो,
- ❖ किसान आयोग बनाया जाए,
- ❖ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों।

निस्संदेह ये निर्देश किसानों के हित में थे, लेकिन यहीं संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हुआ – "क्या न्यायालय सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाने का आदेश दे सकता है?" उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय का अंतिम भाग एवं विश्लेषणात्मक निष्कर्ष – दिनांक 29 जुलाई 2016 को माननीय न्यायमूर्ति Rajiv Sharma Judge एवं Sureshwar Thakur, Judge द्वारा इस प्रकरण में अंतिम निर्णय (Final Judgment) पारित किया गया और न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल विवादित प्रश्नों का निस्तारण ही नहीं किया, बल्कि "continuing mandamus" (निरंतर पर्यवेक्षी निर्देश) की अवधारणा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि पूर्व में दिनांक 7.10.2014, 8.1.2015, 2.5. 2015, 14.10.2015 एवं 2.3.2016 को पारित निर्देश भी इस निर्णय का अभिन्न एवं अनिवार्य हिस्सा बने रहें। इस मामले में न्यायालय ने केवल विवाद का निपटारा नहीं किया, बल्कि एक व्यापक और दूरगामी व्यवस्था भी तैयार की। न्यायालय ने "continuing mandamus" की भावना के तहत यह सुनिश्चित किया कि पहले दिए गए सभी आदेश भविष्य में भी लगातार लागू होते रहें। इसका उद्देश्य यह था कि केवल एक बार का समाधान नहीं, बल्कि लंबे समय तक पालन होने वाली व्यवस्था बनी रहे।

न्यायालय ने कृषक के जीवन को समझाने के लिए अमेरिकी कवि Edwin Markham की कविता "The Man with the Hoe" का उल्लेख किया। इस कविता के माध्यम से यह दिखाया गया कि किसान का जीवन कितना कठिन, थकाने वाला और ऐतिहासिक बोझ से भरा हुआ होता है। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि किसान की वास्तविक स्थिति को महसूस कराने का एक तरीका था। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत की कृषि व्यवस्था की नींव पशुधन, खासकर गाय और बैल पर टिकी हुई है। स्वामीनाथन रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी समझाया गया कि किसान की स्थिति को सुधारने के लिए नीतिगत सुधार और उचित मूल्य व्यवस्था बहुत जरूरी है। भारतीय परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में न्यायालय ने गौ–संरक्षण पर आधारित श्लोक का भी उल्लेख किया, जिससे यह संदेश दिया गया कि गाय के प्रति हिंसा न केवल कानूनी, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी गलत है। कुल मिलाकर, न्यायालय ने इस फैसले में कानून के साथ–साथ साहित्य, संस्कृति और कृषि अर्थव्यवस्था को जोड़कर यह समझाने की कोशिश की कि किसान, गोधन और ग्रामीण जीवन एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और इनकी सुरक्षा केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का फैसला इतना विषद व्यापक और प्रभावशाली था कि वर्ष 2017 में बेचैनी में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और SLP (C) No- 2265 of 2017 दायर करती है कि फैसला कृषि विभाग को भी प्रभावित करता है, जबकि वह मुकदमे का पक्षकार नहीं है, परन्तु यह भी ध्यान देने की बात है कि सरकार ने सम्पूर्ण निर्णय को चुनौती नहीं दी अपितु कुछ विषयों को जिसने सरकार को वास्तव में तकलीफ में डाल दिया था, सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय के द्वारा दिए गये गोरक्षा संबंधी निर्देशों को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती नहीं दी, परन्तु अंतिम निर्णय आदेश 29 जुलाई 2016 के पैरा 67, पैरा 70, पैरा 71, पैरा 75, और 2 मार्च 2016 के आदेश के–पैरा 88, पैरा 89, पैरा 90, पैरा 91, अर्थात विवाद गौशालाओं पर नहीं था वरन, विवाद MSP, किसान आयोग, ऋणमाफी और कृषि नीति पर था। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी, **वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने Himachal Pradesh Gauvansh Sanrakshan and Samvardhan Act, 2018 पारित कर दिया।** सुप्रीम कोर्ट में स्वयं राज्य ने स्वीकार किया

की हाईकोर्ट के गौसंरक्षण संबंधी निर्देश अब कानून का रूप ले चुके हैं। यह स्वीकारोक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

14 मई 2026 : सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

लगभग नौ वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायलय के तीन जजों की पीठ ने अपना सर्वोच्च निर्णय दिया। पीठ में थे –

❖ Justice Vikram Nath
❖ Justice Sandeep Mehta
❖ Justice Vijay Bishnoi

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उच्च न्यायालय किसानों की समस्या पर स्वतः संज्ञान ले सकता था। जनहित याचिका में व्यापक अधिकार हैं। लेकिन – न्यायालय नीति नहीं बना सकता। न्यायालय सरकार को MSP घोषित करने का आदेश नहीं दे सकता। न्यायालय किसान आयोग गठित करने का आदेश नहीं दे सकता। न्यायालय ऋणमाफी योजना लागू करने का आदेश नहीं दे सकता।

जहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट से सहमत हूँ, एक अधिवक्ता के रूप में मुझे स्वीकार करना होगा कि संवैधानिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का तर्क मजबूत है। यदि न्यायालय यह तय करने लगें – कौन–सा आयोग बनेगा, कितना बजट खर्च होगा, कौन–सी योजना लागू होगी, तो शासन की संवैधानिक संरचना असंतुलित हो जाएगी। संविधान ने यह शक्ति कार्यपालिका और विधायिका को दी है। परन्तु एक गोरक्षा अधिवक्ता के रूप में विनम्र असहमति भी है कि मुझे कहना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह संतोषजनक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश के पैरा 75 को भी निरस्त कर दिया जो कि केवल कृषि नीति नहीं था वरन उसमें वे उच्च न्यायलय के द्वारा जारी किये गए समय–समय पर महत्वपूर्ण आदेश थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में गोरक्षा

का एक मॉडल दिया था, उसमें इतने महत्वपूर्ण विधिक विश्लेषण और निर्वाचन कानूनी सिद्धांत समाहित थे जिन्होंने गोरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति स्थापित कर दी थी, जो कि माननीय उच्च न्यायलय ने अंतिम आदेश का हिस्सा बताया था। अब सवाल है कि क्या वह उन सभी अंतरिम आदेशों को जो कि अंतिम निर्णय का हिस्सा था, जिनके आधार पर हिमाचल गोरक्षा मॉडल विकसित हुआ था, अपास्त कर देने से सरकारों को गोरक्षा के बाध्यकारी निर्देशों से प्रकारांतर से मुक्त तो नहीं कर दिया गया? क्योंकि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह विस्तार से नहीं बताया कि –

❖ 2014 के आदेशों का क्या होगा?
❖ 2015 के आदेशों का क्या होगा?
❖ उस न्यायिक निगरानी मॉडल का क्या होगा जिसने वास्तविक परिवर्तन किया?

न्यायालय ने यह मान लिया कि 2018 का कानून पर्याप्त है। हो सकता है पर्याप्त हो, फिर भी इस प्रश्न पर अधिक स्पष्टता अपेक्षित थी।

निष्कर्ष : माननीय उच्चतम न्यायलय के इस निर्णय को गोरक्षा की हार नहीं, वरन एक जीत की तरह ही देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने–गौसंरक्षण को गलत नहीं कहा, गौशालाओं का विरोध नहीं किया, गोसदनों को अवैध नहीं कहा, गोतस्करी विरोधी उपायों को नहीं हटाया। उल्टे उसने रिकॉर्ड पर दर्ज किया कि राज्य ने गौसंरक्षण कानून बना दिया है और मूल शिकायतों का समाधान हो चुका है। इस मुकदमे का वास्तविक नायक कौन है? यदि निष्पक्ष होकर कहा जाए तो इस पूरे मुकदमे का सबसे बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का है। यदि 2014 में न्यायालय हस्तक्षेप न करता तो शायद गोसदन नहीं बनते, शायद प्रशासन सक्रिय नहीं होता, शायद कानून भी नहीं बनता। इसलिए हिमाचल उच्च न्यायालय प्रशंसा एवं बधाई का पात्र है। उसने दिखाया कि संवेदनशील न्यायपालिका समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है।

देखा जाये तो यह मामला हार या जीत का नहीं है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गोरक्षा के लिए प्रशासनिक एजेंडा बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सीमाओं को पुनः स्थापित किया। एक ने परिवर्तन की शुरुआत की, दूसरे ने संविधान की मर्यादा की रक्षा की। और अंततः सबसे बड़ी बात यह है कि – जिस गोरक्षा के लिए यह संघर्ष शुरू हुआ था वह आज हिमाचल प्रदेश के कानून का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए इतिहास जब इस मुकदमे को देखेगा तो संभवतः यह कहेगा – **"उच्च न्यायालय ने गोरक्षा आंदोलन को दिशा दी और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे संवैधानिक ढाँचे के भीतर स्थिर किया।"** यही इस बारह वर्षीय न्यायिक यात्रा का सबसे संतुलित और न्यायपूर्ण मूल्यांकन होगा। हम हिमाचल प्रदेश भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन परिषद् की समस्त टीम को बधाई देते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़कर देश के सामने एक उदहारण पेश किया है, एक इतिहास रचा है।

मुष्टि भारद्वाज

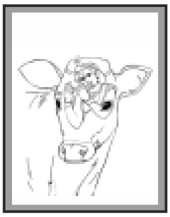

सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

बेसहारा गोवंश, तस्करी व पशु क्रूरता पर लगेगा अंकुश

शिमला, 10 जून। गोवंश संरक्षण से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकांश निर्देशों को बरकरार रखने के बाद भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद न्यास हिमाचल प्रदेश ने इसे गौसंरक्षण आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। परिषद ने कहा कि इस फैसले से राज्य में बेसहारा गोवंश, तस्करी और पशु क्रूरता जैसी समस्याओं पर प्रभावी अंकुश लगाने का रास्ता साफ हुआ है।

गत माह शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में परिषद के अध्यक्ष मुष्टि भारद्वाज ने बताया कि परिषद ने वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर गोवंश संरक्षण से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे। उस समय प्रदेश में बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों पर भटक रहा था, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं और किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा था। भारद्वाज ने कहा कि करीब एक दशक तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 14 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के अधिकांश प्रावधानों को सही ठहराया है। उन्होंने इसे केवल कानूनी जीत नहीं बल्कि गौसंरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। परिषद ने सरकार से मांग की कि पंजीकृत गोवंश का पालन करने वाले किसानों को प्रति पशु 1200 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाए, ताकि किसान गोपालन के लिए प्रेरित हों। इसके अलावा बेसहारा गोवंश को छोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, पंचायतों को अधिक जिम्मेदारी देने और गौशालाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

इससे वनाग्नि की घटनाओं में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। परिषद ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार अदालत के निर्देशों को गंभीरता से लागू करेगी, जिससे गोवंश संरक्षण की व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सकेगी।

गोवंश संरक्षण की न्यायिक विजय में अमूल्य योगदान के लिए

सुश्री राधिका गौत्तम को गोरक्षा सम्मान

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश (CWP 6631/2014) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गोवंश संरक्षण से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय को स्थापित करने में आपके निःस्वार्थ विधिक सहयोग, समर्पण एवं उत्कृष्ट Pro Bono Publico सेवा के लिए यह सम्मान समर्पित है। इस निर्णय से गोवंश संरक्षण, पंजीकरण, उपचार एवं संवर्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त हुआ है।

Dr. Sanjay Raman "Vidyavachaspati"

THE CARBON CAROUSEL

METHANE, MONOCULTURES AND THE FUTURE OF REGENERATIVE GRAZING

In the modern discourse on global climate change, few subjects provoke as much geopolitical and environmental debate as the humble cow. Once universally celebrated as a rustic symbol of rural sustainability, the bovine has increasingly been re-examined through the cold lens of atmospheric chemistry. As global temperatures rise, livestock production faces intense scrutiny, caught directly between its undeniable contribution to greenhouse gas emissions and its potentially revolutionary role in restoring degraded ecosystems. To balance this ecological ledger, humanity must move past polarizing rhetoric and closely analyze the complex interplay of enteric methane, corporate industrial farming and the emerging salvation of regenerative agriculture.

The primary indictment against cattle rests on the mechanics of their unique digestive biology. As ruminants, cows possess a specialized stomach chamber called the rumen, where tough, fibrous grasses are broken down through an ancient evolutionary process known as enteric fermentation. While this allows cattle to convert otherwise inedible cellulose into high-quality protein, it produces a volatile byproduct: methane. Released primarily through routine belching, methane is a potent short-lived climate

pollutant with a global warming potential significantly higher than Carbon dioxide over a twenty-year timescale. When multiplied by the massive global herd of over one billion animals, largely driven by industrial demand, bovine emissions constitute a notable slice of anthropogenic climate impact, making livestock a central target for international emissions reduction targets.

However, viewing the cow strictly as an environmental liability ignores a critical nuance in atmospheric physics: the biogenic carbon cycle. Unlike the burning of fossil fuels, which pumps ancient, locked-away carbon permanently into our atmosphere, the carbon emitted by cattle is cyclical. The methane released by a grazing cow degrades into carbon dioxide within roughly a decade. This atmospheric CO_2 is then absorbed by pasture grasses through standard photosynthesis, which the cow eventually consumes, completing a closed loop. The fundamental climate crisis, therefore, is less about the biological existence of the cow itself and far more about the hyper-industrialized systems of modern factory farming, which concentrate thousands of animals in barren feedlots, disconnect them from natural ecosystems and rely heavily on carbon-intensive, monoculture feed crops like soy and corn.

The true path to sustainable farming lies in shifting away from industrial feedlots and returning cattle to their evolutionary home on open pastures through regenerative grazing management. When cattle are managed intentionally using techniques like rotational or holistic planned grazing, they actively mimic the behavior of ancient wild herds. By densely grazing an area for a brief period and then moving on, they stimulate rapid grass root growth, naturally aerate the soil with their hooves and deposit highly fertile organic manure. This process kickstarts the soil microbiome, drastically increasing the land's capacity to pull carbon down from the atmosphere and lock it safely underground; a phenomenon known as soil carbon sequestration.

When properly managed, the volume of atmospheric carbon stored in a thriving, well-grazed pasture can potentially offset or even exceed the enteric methane emissions produced by the cattle themselves. Furthermore, innovative dietary supplements, such as integrating specific marine macroalgae (seaweed) or natural tannins into cattle feed are proving capable of slashing enteric methane emissions by over eighty percent without disrupting animal health. Ultimately, the cow is neither an absolute climate villain nor a flawless ecological savior; she is a powerful biological catalyst. By abandoning intensive factory production and embracing a climate-smart, pasture-driven model, global agriculture can transform livestock from an environmental burden into one of our most effective, living tools for planetary healing.

Dr. Aastha Pathak

MAA GAU

THE SACRED COW AND HER IMPORTANCE IN INDIAN CIVILIZATION

The cow, lovingly known as Maa Gau or Gau Mata, occupies a unique and revered place in Indian civilization. For thousands of years, she has been respected not merely as an animal but as a symbol of motherhood, compassion, prosperity, and selfless service. In Indian culture, the cow is regarded as a nurturing mother because she provides milk and sustains human life much like a mother nourishes her children. The deep respect accorded to the cow is reflected in India's scriptures, traditions, festivals, and rural ways of life. Across generations, the cow has remained an integral part of the nation's cultural, spiritual, and economic heritage.

The importance of the cow in India is deeply rooted in Hindu mythology and sacred literature. Ancient scriptures such as the Vedas, Puranas, Ramayana, and Mahabharata contain numerous references praising the cow and emphasizing her sacred status. One of the most celebrated figures in Hindu mythology is Kamadhenu, the divine wish-fulfilling cow who is believed to be the mother of all cows. Kamadhenu symbolizes abundance, generosity, and prosperity. According to traditional belief, she possesses the power to fulfill the wishes of her devotees and provide all necessities of life. The reverence for Kamadhenu illustrates the high spiritual position that cows have occupied in Indian thought since ancient times.

The life of Lord Krishna further strengthened the sacred association between Indian society and cows. Krishna spent his childhood among cows in Gokul and Vrindavan and is affectionately known as Gopala and Govinda, meaning the protector and friend of cows. Stories of young Krishna grazing cattle, caring for calves, and playing his flute in the company of cows are among the most beloved narratives in Hindu tradition. These stories teach values of kindness, responsibility, and harmonious coexistence with nature. For millions of devotees, Krishna's love for cows serves as an inspiration to respect and protect them.

In Indian philosophy, the cow symbolizes selfless giving. She provides milk, one of the most nutritious foods known to humanity, without expecting anything in return. Milk and its products such as curd, butter, ghee, and buttermilk have been essential components of Indian diets for centuries. The cow's gentle nature and nurturing role have led people to regard her as a living embodiment of motherhood. This is why the term "Gau Mata" is used with affection and reverence throughout the country. The concept of Maa Gau encourages gratitude toward those who provide sustenance and support to society.

Beyond spiritual significance, the cow has played a vital role in India's agricultural and economic development. For centuries, Indian farmers depended on cattle for ploughing fields, transporting goods, and supporting rural livelihoods. Oxen powered agricultural operations long before the arrival of modern machinery. Cow dung served as an invaluable organic fertilizer that enriched soil fertility and improved crop yields. Even today, cow dung is widely used in organic farming and biogas production. These traditional practices contribute to environmental sustainability and reduce dependence on chemical fertilizers and fossil fuels. Thus, the cow has historically been a foundation of India's rural economy and agricultural prosperity.

The cow also occupies an important place in Indian social and cultural life. Many festivals and rituals involve the worship and honoring of cows as expressions of gratitude for their contribution to human welfare. In villages across India, owning cattle has traditionally been considered a sign of prosperity and stability. Ancient rulers often regarded the protection of cows as a sacred duty, recognizing their importance to society. The cow became a symbol of peace, abundance, and moral responsibility. Through generations, respect for cows has been associated with broader values of compassion and non-violence toward all living beings.

From an environmental perspective, the cow contributes significantly to sustainable living. Cow dung can be converted into biogas, providing a renewable source of energy for rural households. Organic manure derived from cattle improves soil quality and promotes ecological balance. Traditional Indian farming systems integrated cattle into natural cycles where resources were efficiently utilized with minimal waste. In an age marked by environmental concerns and climate challenges, many people see value in reviving sustainable agricultural practices that respect nature and reduce ecological harm.

The reverence for Maa Gau ultimately reflects a broader Indian worldview that values harmony between humans, animals, and nature. The cow represents nourishment, generosity, patience, and service. Her place in Indian civilization is not based solely on religion but also on her historical contribution to agriculture, rural livelihoods, environmental sustainability, and cultural identity. For centuries, she has inspired ideals of compassion and gratitude that continue to influence Indian society.

In conclusion, Maa Gau remains one of the most cherished symbols of Indian civilization. Through mythology, spirituality, agriculture, and daily life, the cow has shaped the cultural and moral fabric of the nation. She is revered as a nurturing mother, a source of prosperity, and a symbol of selfless service. As India progresses into the future, many people believe that preserving the welfare and dignity of cows is a way of honoring a timeless tradition that has enriched society for generations. The story of Maa Gau is therefore not merely about an animal; it is about gratitude, compassion, sustainability, and the enduring values that have guided Indian civilization throughout history.

हार्दिक निवेदन

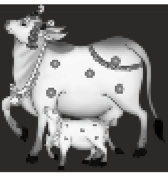

सभी गोभक्त–गोप्रेमी बंधुओं से करबद्ध अनुरोध है कि वे इस पत्रिका का सदस्य अवश्य बनें और अन्य गोभक्तों को भी सदस्य बनायें। कृपया सभी लोग अपना वार्षिक अथवा आजीवन सदस्यता शुल्क निम्नलिखित बैंक व खाता नंबर में जमा कराएं –

पंजाब नेशनल बैंक, बसंत लोक, नई दिल्ली

खाता नम्बर – 04072010038910 IFSC CODE : PUNB0040710

नोट – शुल्क "भारतीय गोवंश रक्षण संवर्द्धन परिषद" के नाम पर जमा करें। सम्पर्क सूत्र : 011.26174732

pnb punjab national bank

...the name you can BANK upon!

अब आप यूपीआई के माध्यम से भी पत्रिका का शुल्क जमा कर सकते हैं

SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP

9958710672m@pnb

MERCHANT: BHARTIYA GOVANSH RAKSHAN SAMVARDHAN PARISHAD

BHIM | UPI

BHARAT INTERFACE FOR MONEY | UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

'गोपालन व पंचगव्य से बदल सकती है अर्थव्यवस्था

कानपुर (दैनिक जागरण)। विश्व हिंदू परिषद के गो रक्षा विभाग की ओर से छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के सीनेट हाल में गोपालन, गो संवर्धन एवं पंचगव्य विषय पर कार्यशाला एवं गोष्टी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व निदेशक प्रो. गुरु प्रसाद सिंह ने कहा कि सीजनल और रीजनल आहार, गोपालन एवं पंचगव्य का प्रयोग देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस अवसर पर आयुर्वेदाचार्य डा. वंदना पाठक, एफएफडीसी के अतिरिक्त निदेशक डा. भक्ति विजय शुक्ला, विहिप प्रांत कार्याध्यक्ष डा. उमेश पालीवाल आदि उपस्थित रहे।

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6"
Email : gosampada@gmail.com
website : www.vhp.org

Registered No. DL-SW-01/4027/24-26
RNI No. 69508/98 प्रस्तुति : 13–14
प्रकाशन तिथि : 11 जुलाई, 2026

प्रकाशक व मुद्रक राजेन्द्र प्रसाद सिंहल ने रायल प्रेस,
बी 81, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित कर भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद् (विहिप)
संकटमोचन आश्रम, सेक्टर-6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22 के लिए प्रकाशित की। संपादक - देवेन्द्र नायक